राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 24 / 2022 जीसीएमएस नम्बर – 2022 / 61

1. दयानन्द पुत्र जयनारायण उम्र 61 जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

..........वादी

बनाम

1. सुनिलकुमार पुत्र हवासिंह नवीरा जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. हवासिंह पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज.
3. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज. जरीय शाखा प्रबन्धक
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुरजगढ तह0 सुरजगढ जिला झुंझुनू राज0
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज.

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

दावा खाता विभाजन

–::निर्णय::–

दिनांक :– 11/11/2025

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(1). यह कि ग्राम नानवास पटवार हल्का कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनूं राज0 स्थित हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 अनुसार खाता संख्या 33 के खसरा न0 121 रकबा 2.16 है0, खसरा न0 154 रकबा 5.32 है0, खसरा न0 361 रकबा 1.61 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.09 है0 के खातेदार काश्तकार वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त खातेदारी मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसका वादी का 1/2 हिस्सा का खाता विभाजन का दावा पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested

(2.) यह कि वादी का खाता विभाजन कर [illegible] राजस्व रिकार्ड बनाया जावे तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया [illegible] यह दावा बाबत खाता विभाजन का पेश है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मिसल नम्बर :– 27 /2022

राजस्व वाद संख्या : 24 / 2022
जीसीएमएस वाद संख्या : 2022 / 61
दयानन्द बनाम सुनिल कुमार आदि
निर्णय दिनांक– 11.11.2025

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 288 दिनांक 21.07.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 767 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम नानवास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 33 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खातेदारी काश्त की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 अनुसार हाल खाता संख्या 33 के खसरा न0 121 रकबा 2.16 है0, खसरा न0 154 रकबा 5.32 है0, खसरा न0 361 रकबा 1.61 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.09 है0 भूमि में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11/11/2025 को [illegible]या जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

राजस्व वाद संख्या : 24 / 2022
जीसीएमएस वाद संख्या : 2022 / 61
दयानन्द बनाम सुनिल कुमार आदि
निर्णय दिनांकः– 11.11.2025

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:–24 / 2022 जीसीएमएस नम्बर – 2022 / 61

दयानन्द **बनाम** सुनील कुमार आदि

दावा खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री रामस्वरुप यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

> " न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नानवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खातेदारी काश्त की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 अनुसार हाल खाता संख्या 33 के खसरा न0 121 रकबा 2.16 है0, खसरा न0 154 रकबा 5.32 है0, खसरा न0 361 रकबा 1.61 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.09 है0 भूमि में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/11/2025..........को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना